

कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़


स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ-ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 10576 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2024 रायपुर, दिनांक / 19/11/2024

// आवश्यक सूचना //

प्रवेश वर्ष 2024 चिकित्सा स्नातकोत्तर (एम.डी./एम.एस.) पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग में सम्मिलित होने वाले सभी एनआरआई स्पॉन्सर्ड अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, कि एनआरआई स्पॉन्सर्ड अभ्यर्थी अपने वंशावली वृक्ष प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार या उससे उच्च अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया हो को अनिवार्य रूप से प्रवेश वर्ष 2024 चिकित्सा स्नातकोत्तर (एम.डी./एम.एस.) काउंसिलिंग की संवीक्षा एवं प्रवेश प्रक्रिया के पूर्व ही प्रवेश नियमानुसार (छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021) निर्धारित प्रपत्र में बनवाकर रख ले, जिससे काउंसिलिंग प्रक्रिया में होने वाली जटिलताओं से बचा जा सके।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


19/11/2024

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.